प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.12.2024

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा 01अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से एक स्कूटी, 02 फर्जी नम्बर प्लेट एवं 01 अवैध चाकू बरामद।

घटना एवं कार्यवाही का विवरण-दिनांक 04.12.2024 को संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग के दौरान थाना मधुबन बापुधाम पुलिस द्वारा बुनकर मार्ट के पास से 01 अभियुक्त को फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई स्कूटी एवं अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है व अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण अभियुक्त-अभियुक्त आशुतोष पुत्र कमल सिंह ने पूछताछ पर बताया कि साहब मैं मोबाइल व चेन स्नेचिंग करता हूं। आज भी मे मोबाइल छीनने के लिये जा रहा था। पुलिस व जनता को धोखा देने के लिए स्कूटी पर गलत नम्बर डाल कर चलाता हुँ और यह चाकू अपनी सुरक्षा के लिये व जनता को डराने के लिए रखा था।

नाम पता अभियुक्त

आशुतोष पुत्र कमल सिंह निवासी E 42 / 4C मधुबन बापूधाम गाजियाबाद पूर्व पता कादरबाद / मोईद्दीनपुर थाना परतापुर जनपद मेरठ उम्र 24 वर्ष।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त आशुतोष

अभियुक्त आशुतोष उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर 01 मुकदमा लूट का, जनपद मेरठ में 01 मुकदमा चोरी का, थाना मधुबन बापूधाम 01 मुकदमा फर्जी नम्बर प्लेट एवं आयुद्ध अधि0 का कुल 03 मुकदमे पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

1. 01 स्कूटी
2. 02 फर्जी नम्बर प्लेट
3. 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी कर फ्लैट पर अवैध कब्जा करने के अभियोग में 02 वाँछित अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 23.11.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि विजय मोंगा, सौरभ मोंगा व वेदिता सचदेवा द्वारा मेरे फ्लैट पर ताला तोड़कर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। जिसके सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 05.12.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी कर फ्लैट पर अवैध कब्जा करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त सौरभ मोंगा पुत्र विजय कुमार मोगा नि0 बी 56 ग्राउण्ड फ्लोर राधा कृष्णा लेन कौशाम्बी मूल निवासी एफ 266 मान सरोवर गार्डन थाना कीर्तिनगर दिल्ली उम्र 34 वर्ष को सैन्ट्रल पार्क कौशाम्बी से तथा 01 वाँछित अभियुक्ता नेहा मोगा पत्नी विजय कुमार मोगा निवासी बी 56 ग्राउण्ड फ्लोर राधा कृष्णा लेन कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र 56 वर्ष को घर बी 56 ग्राउण्ड फ्लोर राधा कृष्णा लेन कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हमने वर्ष 2019 में वादिया से फ्लैट नंबर बी-56 राधा कृष्णा लैन कौशांम्बी 35,000/-रु0 प्रति माह किराये पर लिया था, रेंट एग्रीमेंट तैयार करने का समझौता हुआ था। लेकिन हम सभी ने रेंट एग्रीमेंट तैयार नहीं कराया था क्योकि हम इस मकान पर कब्जा करना चाहते थे। इस मकान की मालिक एक बुजुर्ग महिला है। जिसका कोई बेटा भी नही है और ना ही उसका कोई पैरवी करने वाला है। हम लोगों ने रेंट का किराया भी नहीं दिया तब सरलेश

अग्रवाल ने बिजली का कनेक्शन कटवा दिया। मैंने व मेरी मां नेहा मोंगा पिता विजय कुमार मोंगा एवं पत्नी वेदिता सचदेवा ने आपस में बैठकर योजना बनायी कि हम लोग सरलेश अग्रवाल के नाम से फर्जी मुख्यातरनामा तैयार करते है और इस मकान पर कब्जा कर लेते है। मेरे पिताजी विजय कुमार मोंगा ने पूर्व में श्रीमती ऊषा पत्नी स्वर्गीय ओमप्रकाश बागिया से ग्राम भगौला तहसील पलवल हरियाणा से पहले एक मुख्तारनामा कराया था। हम सब चारों लोगों ने उक्त मुख्तारनामे में श्रीमति उषा के नाम की जगह श्रीमती सरलेश अग्रवाल का नाम व अन्य एडिट कर अपने पिताजी के नाम से भूखंण्ड संख्या वी-56 राधा कृष्णा लेन कौशांम्बी भूतल का बिजली कनेक्शन बिजली घर से करवाकर और इस घर पर कब्जा कर लिया है। जब वादिया अपनी बेटी के साथ घर को खाली कराने के लिए आई थी तो हम लोगों ने उनके साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता</u>

1. सौरभ मोंगा पुत्र विजय कुमार मोंगा निवासी बी 56 ग्राउण्ड फ्लोर राधा कृष्णा लेन कौशाम्बी मूल निवासी एफ 266 मान सरोवर गार्डन थाना कीर्तिनगर दिल्ली उम्र 34 वर्ष।
2. नेहा मोंगा पत्नी विजय कुमार मोगा निवासी निवासी बी 56 ग्राउण्ड फ्लोर राधा कृष्णा लेन कौशाम्बी उम्र 56 वर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास</u>

गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ मोंगा पुत्र विजय कुमार मोंगा के विरुद्ध थाना हापुरनगर हापुड़ में मारपीट के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 19 पेटी देशी शराब(कुल 912 पव्वे) बरामद।

आज दिनांक 05.12.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. फरमान पुत्र फरियाद निवासी गली नं0 4 मच्छी मार्केट सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष व 2. आरिफ पुत्र सलाम निवासी डी 34 (4/1)छावडा चौक विक्रम एनक्लेव थाना शालीमार गार्डन कमि0 गा0बाद उम्र 21 वर्ष को विनोद जैन मार्बल की दुकान के पास 80 फुटा रोड़ शालीमार गार्डन से अवैध 19 पेटी देशी शराब(कुल 912 पबव्वे) सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्त फरमान व आरिफ उपरोक्त से शराब रखने का लाइसेंस मांगा गया तो दिखा नहीं पाये और बताया कि यह शराब रोहित की है जो हरियाणा से मगवाता है। रोहित गली के उस पार सीमापुरी दिल्ली में रहता है। उसके ठिकाने पर पहुँचाने के लिए मजदूरी पर आये है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. फरमान पुत्र फरियाद निवासी गली नं0 4 मच्छी मार्केट सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।

2. आरिफ पुत्र सलाम निवासी डी 34 (4/1)छावडा चौक विक्रम एनक्लेव थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

अवैध 19 पेटी देशी शराब (कुल 912 पव्वे) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त फरमान व आरिफ उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा आनलाइन सरिया बेचने हेतु फर्जी वेबसाइट बनाकर साइबर फ्रॉड करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त लैपटाप व मोबाइल फोन बरामद

श्री सुभाष त्यागी से कूटरचित वेबसाइट के द्वारा जिन्दल स्टील का सरिया बेचने के नाम पर साइबर फ्रॉड करते हुए कुल 14,90,000/- रूपये की साइबर ठगी की घटना दिनांक 25.09.2024 को घटित हुई थी, जिसमें अभियुक्त गण द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट पर सरिया आर्डर JINDAL STEEL & POWER LIMITED का फर्जी बिल देकर वादी से ठगी की गई थी।

इस गैंग के अभियुक्त रोहित साव निवासी कोलकाता पश्चिम बंगाल, छोटू उर्फ छोटेलाल तथा राजेश रंजन उर्फ अजय निवासी गण नालन्दा बिहार को क्रमश: दिनांक 15.10.2024 को कलकत्ता से तथा दिनांक 12.11.2024 को वारिसलीगंज क्षेत्र जिला नवादा बिहार से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, 29 एटीएम कार्ड्स तथा 1.77 लाख रुपये रिकवर किये गये थे।

अभियुक्त अजय कुमार पुत्र तुलसीदास निवासी ग्राम टांडा पोस्ट आफिस काठगढ थाना इन्दौरा जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश उम्र करीब 34 वर्ष को आज दिनांक 05.12.2024 को कोतवाली क्षेत्र गाजियाबाद से समय करीब 11:50 बजे गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका

साइबर अपराधियों द्वारा आनलाइन TMT सरिया बेचने के लिये https://www.tmtsariyasupplier.in वेबसाइट बनाकर मोबाइल नं0 9062267046 वेबसाइट पर प्रदर्शित करते थे। आनलाइन सरिया सर्च करने पर यह वेबसाइट दिखती थी, पीड़ित द्वारा वेबसाइट पर मौजूद मोबाइल नम्बर पर काल करने पर अभियुक्त गण आनलाइन पेमेन्ट लेकर JINDAL STEEL & POWER LIMITED का फर्जी बिल बनाकर उसे भेज देते थे। सरिया डिलीवरी ना होने पर काल करने पर ये अपराधी जिन्दल स्टील में User Code बनाने के नाम पर और पैसे जमा करवाते थे, इसके बाद भी सरिया डिलीवर ना होने पर पीडित को उसके साथ हुई ठगी का पता चलता था।

ये अभियुक्त बिहार शरीफ जिला नालन्दा क्षेत्र से इस गैंग को संचालित करते थे तथा साइबर फ्रॉड कर ठगे गये पैसे को नालन्दा, नवादा तथा पटना क्षेत्र से एटीएम से निकाल लेते थे।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त अजय कुमार पुत्र तुलसीदास निवासी ग्राम टांडा पोस्ट आफिस काठगढ थाना इन्दौरा जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश उम्र करीब 34 वर्ष एमसीए कर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का काम करता था। पूर्व में अगाध वेन्चर एलएलपी कम्पनी चंडीगढ में सीनियर एड मैनेजर का काम करता था। वर्ष 2022 में एक्सीडेन्ट होने के बाद जाब छोड दी। जाब छूटने के बाद डिजिटल मार्केटिंग तथा वेबसाइट डिजानिंग के लिए गुगल पर एड चलाकर लोगों के लिये वेबसाइट बनाने व गूगल एड चलाने का काम करने लगा। वर्ष 2023 मे बिहार के संजीव कुमार ने सम्पर्क कर सीमेन्ट की सप्लाइ,TMT सरिया सप्लाई के लिए वेबसाईट बनाने का आर्डर दिया। इसके बाद यह बिहार के इन अपराधियों के लिये वेबसाइट बनाने तथा गूगल एड चलाने का काम करने लगा। उसने घटना में प्रयुक्त टीएमटी सरिये की ट्रैडिंग के लिए tmtsariyasuppliers.in नाम की वेबसाइट बनाई तथा इसका एड गूगल पर चलाया। अभियुक्त को इसके बदले में गैंग के सदस्य रोहित साव, राजेश रंजन उर्फ अजय, छोटू उर्फ छोटेलाल पेमेन्ट किया करते थे।

वेबसाइट बनाकर लोगों से आनलाइन आर्डर लेकर ठगी करने वाले इस अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्य कलकत्ता पश्चिम बंगाल, नवादा, नालन्दा बिहार एवं कांगडा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तथा आपस में ये आनलाइन एक दूसरे से जुड़कर संगठित अपराध कारित कर रहे हैं।

अभियुक्त अजय वेबसाइट बनाने के बाद गूगल एड फर्जी नाम पते पर चलाता था वेबसाइट बनाने में प्रयोग किया गया मोबाइल नम्बर तथा लैपटाप अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ है, अभियुक्त चण्डीगढ तथा हिमाचल प्रदेश में कांगडा स्थित अपने घर से यह काम करता था। अभियुक्त को दो वर्ष में लगभग 20 लाख रुपये इन अभियुक्तों से प्राप्त हुआ है। इस गैंग के दो सदस्य विकास और चन्दन निवासी नालन्दा बिहार की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अजय कुमार पुत्र तुलसीदास निवासी ग्राम टांडा पोस्ट आफिस काठगढ थाना इन्दौरा जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश उम्र करीब 34 वर्ष शिक्षा MCA

बरामदगी का विवरण-

एक अदद मोबाइल फोन।

एक अदद लैपटाप।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

JINDAL STEEL & POWER LIMITED
12, Bhikaji Cama Place, Bhikaji Cama Place, Bhikaji Cama Place, New Delhi, Bhikaji Cama Place, Delhi, 110066,
+91 9564314854,
info@jindalsteel.com
GSTIN : 07AAACJ7097D1ZI
PAN No: AAACJ7097D

PROFORMA INVOICE

✓ Original for Recipient
Duplicate for Transporter
Triplicate for Supplier

Reverse Charge	: No	Challan No.	: NA	Transporter Name	:
Proforma Invoice No.	: 86747682	Transportation Mode	: Road	LR Number	: NA
Proforma Invoice Date	: 24-09-2024	Vehicle No.	: NA	LR Date	: 24-09-2024
E-Way Bill No	: NA	Date of Supply	: 24-09-2024	PO Number	: 2143586975
Sales Person	: Mr. Sudheer Sharma	Place of Supply	:		
State	: Delhi (State Code : 07)				

Details of Receiver | Billed to:		Details of Consignee | Shipped to:	
Name	: KRISHNA CONSTELLATION PRIVATE LIMITED	Name	: KRISHNA CONSTELLATION PRIVATE LIMITED
Address	: KHASRA NO 334, SALIYAR, VILLAGE SALIYAR, Roorkee, Haridwar, Roorkee, Uttarakhand, 247667	Address	: Near chica restaurant purkul road, Dehradun, Uttarakhand, 248001
GSTIN	: 05AAGCK0069E1ZV	MOBILE	: +91 9258159488
MOBILE	: +91 9258159488	State	: Uttarakhand
State	: Uttarakhand (State Code : 05)		(State Code : 05)

Sr. No.	Name of product	HSN/SAC	QTY	Unit	Rate	Taxable Value	IGST		Total
							Rate	Amount	
1	JINDAL PANTHER TMT BAR FE 550D 08MM	72142090	5	TON	46355.9322	2,31,779.66	18.00%	41720.34	**2,73,500.00**
2	JINDAL PANTHER TMT BAR FE 550D 10MM	72142090	6	TON	44872.8814	2,69,237.29	18.00%	48462.71	**3,17,700.00**
3	JINDAL PANTHER TMT BAR FE 550D 12MM	72141090	3	TON	44872.8814	1,34,618.64	18.00%	24231.36	**1,58,850.00**
4	JINDAL PANTHER TMT BAR FE 550D 16MM	72141090	0.5	TON	43813.5593	21,906.78	18.00%	3943.22	**25,850.00**
5	JINDAL PANTHER TMT BAR FE 550D 20MM	72141090	5	TON	42627.1186	2,13,135.59	18.00%	38364.41	**2,51,500.00**
6	JINDAL PANTHER TMT BAR FE 550D 25MM	72141090	5	TON	42118.6441	2,10,593.22	18.00%	37906.78	**2,48,500.00**
	Total Quantity		**24.5**			**₹10,81,271.19**		**₹1,94,628.81**	**₹12,75,900.01**

Total Proforma Invoice Amount in words
Twelve Lakh Seventy Five Thousand Nine Hundred Rupees Only

Total Amount Before Tax :	**₹10,81,271.19**
Add : IGST :	₹1,94,628.81
Tax Amount : GST :	₹1,94,628.81
Round Off Value: :	**-0.01**
Amount With Tax :	**₹12,75,900.00**

Bank Details

Account Holder Name :	JINDAL STEEL & POWER LTD.
Bank Account Number :	402810110007214
Bank IFSC Code :	BKID0006060
Bank Name :	Bank of India
Bank Branch Name :	GANDHI NAGAR NEW DELHI

Terms And Conditions
1. Payment Terms: 100% Advance
2.Mode of Payment: Wire Transfer (NEFT/RTGS/IMPS)

Certified that the particular given above are true and correct
For, JINDAL STEEL & POWER LIMITED

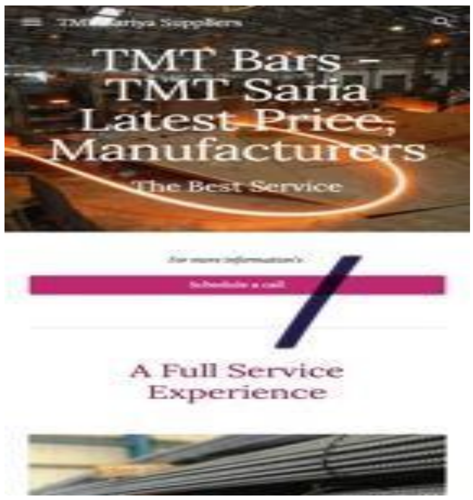

थाना मसूरी पुलिस द्वारा मारपीट के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.12.2024 को थाना मसूरी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त कदीर पुत्र सद्दीक, जुबैर पुत्र कदीर, शादाब पुत्र कदीर तथा परवेज पुत्र कदीर निवासीगण ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा वादिया व वादिया के भतीजे असलम पुत्र साबूदीन, आसिफ पुत्र सिराजुदीन के साथ मारपीट कर गाली गलौज करना तथा जान से मारने की धमकी देना एवं भतीजे असलम के धारदार दराती से हमला करना जिससे कारण वादिया के भतीजे के गम्भीर चोटें आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्तपश्चात थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तों 1.कदीर पुत्र सद्दीक 2. जुबैर पुत्र कदीर 3. शादाब पुत्र कदीर 4. परवेज पुत्र कदीर निवासीगण ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद को लोहिया पुल गंगनहर पटरी नाहल झाल थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोगों का पारिवारिक बातों को लेकर वादिया से झगडा हो गया था जिसमें वादिया व उसके भतीजे असलम के काफी चोटें आयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता –

1- कदीर पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 49 वर्ष।
2- जुबैर पुत्र कदीर निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।
3- शादाब पुत्र कदीर निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।
4- परवेज पुत्र कदीर निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।

स्वॅाट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10/11.08.24 की रात्रि को इन्दिरापुरम के जयपुरिया मॉल के सामने स्थित घड़ियों के शोरुम "साई क्रिएशन" में घुसकर महंगी घड़ियों की चोरी करने के अभियोग में वाँछित 01 लाख के इनामी समेत कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 घड़ियाँ बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण / कार्यवाही

दिनांक 11.08.2024 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री श्याम सुंदर गुप्ता निवासी सैक्टर 19 नोएडा के द्वारा उनके इन्दिरापुरम में स्थित **"साई क्रिएशन"** नामक घड़ियों के शोरूम से अज्ञात चोरों द्वारा शोरुम मे घुसकर महंगी घड़ियाँ जिनकी कीमत लगभग 03 करोड़ रुपये की चोरी करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

घटना के अनावरण हेतु पुलिस की कई टीमें गठित की गयी थी, उक्त प्रकरण में गठित की गई टीमों द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये दिनांक 04.12.2024 को स्वॅाट टीम जोन ट्रांस हिण्डन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी की घटना में शामिल 01 लाख का इनामी वाँछित अभियुक्त सिराज मिया पुत्र जीकुरल मिया निवासी ग्राम

घोडासन वीरता चौक थाना घोडासन तहसील घोडासन जिला मोतिहारी बिहार उम्र करीब 45 वर्ष व दो अन्य अभियुक्त राज गुप्ता पुत्र संजय कुमार प्रशान्त नि0 ग्राम रिली रोड कलिंगपोंग थाना कलिंगपोंग जिला दार्जलिंग पश्चिम बंगाल उम्र करीब 29 वर्ष व वीपतदास पुत्र स्व0 रामनाथ दास निवासी ग्राम घोडासन वीरता चौक थाना घोडासन तहसील घोडासन जिला मोतिहारी बिहार उम्र करीब 57 वर्ष को हिण्डन बैराज पुलिया के पास से चोरी की 03 घड़ियों सहित गिरफ्तार किया गया।

उक्त घटना की गंभीरता के दृष्टिगत कई टीमो का गठन किया गया था जिनके द्वारा उक्त घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने हेतु लगातार अथक प्रयास किया जा रहा है। जिसमें दिनांक 29.08.2024 को घटना का अनावरण करते हुये 02 अभियुक्त संतोष कुमार जायसवाल पुत्र गौरी प्रसाद निवासी वार्ड न0 01 वीरता चौक के पास कस्बा थाना घोडासहन जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार व रोहित कुमार पासवान पुत्र रामेश्वर पासवान निवासी वार्ड न0 1 वीरता चौक के पास कस्बा थाना घोडासहन जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा जा चुका है। जिनके कब्जे से चोरी की हुई विभिन्न ब्रांड की 125 घड़ियाँ (कुल कीमत करीब 46,36,048/-रु0) बरामद हुई थी, दिनांक 27.09.2024 को उक्त चोरी की घटना में वाँछित 01 अभियुक्त राजा पुत्र सुनील चौधरी निवासी जिला सीतामणी बिहार को चोरी की 02 घड़ियों सहित गिरफ्तार किया गया था, दिनांक 29.09.2024 को वाँछित अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र पुनित कुमार जायसवाल निवासी बीरता चौक के पास कस्बा थाना घोडासहन जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार को चोरी की 02 घड़ी सहित गिरफ्तार किया गया व दिनांक 20.10.2024 को थाना इन्दिरापुरम व स्वॉट टीम जोन ट्रांस हिण्डन द्वारा उक्त घटना में वाँछित 1 लाख रु0 के इनामी अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतन साहनी पुत्र गजेन्द्र साहनी निवासी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर चोरी की 01 घड़ी बरामद की गयी थी।

उक्त घटना में अब तक कार्यवाही से कुल 13 अभियुक्तगण प्रकाश में आये हैं। जिनमें से 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है व गिरफ्तार वाँछित 03 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत भेजने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य 05 वाँछित अभियुक्तगण जिन पर 01-01 लाख रुपये का इनाम घोषित हैं की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्त सिराज मिया पुत्र जीकुरल मिया व वीपत दास पुत्र स्व0 रामनाथ दास उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दीपक शाह पुत्र पशुपति शाह निवासी लाईन वासोरिया वार्ड न0 5 निकट वीरता चौक घोडासहन थाना घोडासहन जिला पूर्वी चम्पारण मोतीहारी बिहार (**वाँछित**) अपने साथ लेकर गाजियाबाद आया था। दीपक शाह अपने अन्य लोगों से शोरुम आदि की रैकी कराकर हम लोगों को अपने साथ लाकर बड़े-बड़े शोरुम में चोरी की घटना कराता है और दीपक की नेपाल में काफी जान पहचान है। वह चोरी किया हुआ मॉल नेपाल सप्लाई कर देता है। दिनांक 11.08.2024 को मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जयपुरिया मॉल, गाजियाबाद के समाने से घड़ी के शोरुम से काफी मात्रा में महंगी घड़ियाँ चोरी की थी और दीपक शाह भी मौके पर रहकर निगरानी कर रहा था। मेरे हिस्से में आयी घड़ी मैंने दीपक शाह व सचिन को दे दी थी। जिन्हें बेचकर वह हमें पैसे देता था और हम लोग पिछले 3-4 दिनों में इस क्षेत्र में चोरी के मकसद से उचित स्थान की तलाश में घुमकर रैकी कर रहे थे तथा अभियुक्त राज गुप्ता पुत्र संजय कुमार प्रशान्त निवासी ग्राम रिली रोड़ कलिंगपोंग थाना कलिंगपोंग जिला दार्जलिंग पश्चिम बंगाल ने बताया कि यह घड़ी चोरी की है जो मुझे मेरे साथी सिराज व वीपत दास ने बेचने के लिए दी थी मैं इस घटना में शामिल नहीं था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता</u>

1. सिराज मिया पुत्र जीकुरल मिया निवासी ग्राम घोडासन वीरता चौक थाना घोडासन तहसील घोडासन जिला मोतिहारी बिहार उम्र करीब 45 वर्ष। **(01 लाख रु0 का इनाम घोषित)**
2. राज गुप्ता पुत्र संजय कुमार प्रशान्त नि0 ग्राम रिली रोड कलिंगपोंग थाना कलिंगपोंग जिला दार्जलिंग पश्चिम बंगाल उम्र करीब 29 वर्ष।
3. वीपतदास पुत्र स्व0 रामनाथ दास निवासी ग्राम घोडासन वीरता चौक थाना घोडासन तहसील घोडासन जिला मोतिहारी बिहार उम्र करीब 57 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

- 02 घड़ी सीटिजन कम्पनी की सीरियल नम्बर AU106485X व NJO15081Z।
- 01 घड़ी BALMAIN कम्पनी सीरियल नम्बर B38583382।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।